न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः– 57 / 2023 विविध
निर्णय दिनांकः– 28.06.2024
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. धनसिंह पुत्र बालू सिंह जाति दरोगा निवासी श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. घनश्याम सिंह पुत्र बालू सिंह जाति दरोगा निवासी श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रार्थीगण

बनाम

1. म्होरूराम पुत्र हरबक्श जाति अहीर निवासी अरणिया हाल निवासी श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. उषा देवी पत्नी लालचन्द जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी 40 माथुर वैश्य नगर टोंक रोड जयपुर जिला जयपुर।
3. मोहनलाल पुत्र दीपक कुमार जाति ब्राम्हण निवासी 1260 बरकत नगर टोंक फाटक जयपुर जिला जयपुर।
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री पुरूषोतम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री हनुमान सहाय सिंहाग अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
श्री विशाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 3

प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती

निर्णय　　　　　　　दिनांकः– 28.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि खाता संख्या 15 के आराजी खसरा नम्बर 130 / 1 रकबा 0.7966 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 130 / 2 रकबा 2.4405 हैक्टेयर भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार हे। जिसका नजरी नंक्शा संलग्न (परिशिष्ट.....) प्रस्तुत है। जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। विवादित आराजीयात पूर्व में प्रार्थी गण के पिता बालू सिंह व उसके भाई रामूसिंह पुत्र श्योदान सिंह जाति दरोगा के नाम से थी जिसमें से रामूसिंह ने अपने हिस्से की आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 को बैचान कर दी है। उक्त विक्रय पत्र के समय उक्त आराजीयात का पूर्व की मोमियासीट में किसी प्रकार से कोई तरमीम नहीं की गई थी एवं आपसी बंटवारा करते हुए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर डोल डालकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की आराजीयात में सिंचाई हेतु काफी वर्षो पूर्व ही चाह का निर्माण कर उपयोग कर रहे है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 का किसी भी प्रकार

लगातार..................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अभी हाल में राज्य सरकार की योजना डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत नवीन तरमीम कार्य किया गया जिसके तहत प्रार्थीगण को बिना सूचना बिना जानकारी के अप्रार्थी संख्या 1 ने कारकुनानों से साज करते हुए मौके पर कब्जे के विपरित प्रार्थीगण के कुवें के पास स्थित दक्षिण की ओर स्वंय की भूमि/खेत को नवीन तरमीम शीट में अपनी आराजीयात में शामिल कर लिया। जबकि मौके पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 इस भूमि पर काबिज नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 कदीमी काबिज काश्तकार न होकर भूमि दूसरे से खरीदकर पड़ोसी के तौर पर आया है। इस प्रकार विधि विरूद्व मौके व कब्जे के विपरीत तरमीम कराने साजिश की गई। हाल ही में राजस्व विभाग द्वारा रिकॉर्ड ऑनलाईन करते समय फोरी तौर पर की गई तरमीम मौका व कब्जे के विपरीत है। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त गलत तरमीम में आधार पर प्रार्थीगण को उनके कब्जेशुदा आराजीयात से बेदखल करने पर आमदा है। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसके बाबत प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को 107, 116 सी.आर.पी.सी. में पाबंद भी करवाया था। मौके पर पुख्ता कुंआ बना हुआ है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का शामलाती है। कुंऐ के उत्तर में अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि है तथा दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण का खेत है। यह तरमीम गलत कराने का पुख्ता सबूत है। यानि के कुंऐ के पड़ोस में अप्रार्थी संख्या 1 कभी भी काबिज नहीं रहा है। मौके पर कुंआ प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की बीच की मेड़ पर बना हुआ है। हाल ही में प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत तरमीम के आधार पर बेदखल करने की धमकी देने पर प्रार्थीगण ने उप–तहसीलदार महोदय, नीमेड़ा तहसील फागी के समक्ष प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया गया। जिस पर उप–तहसीलदार महोदय ने पटवार हल्का व गिरदावर से मौके व कब्जे की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसके क्रम में पटवार हल्का व गिरदावर द्वारा वस्तु स्थिति रिपोर्ट उप–तहसीलदार नीमेड़ा को दिनांक 14.07.2023 को प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट से भी साबित होता है कि उक्त तरमीम मौके/कब्जे के विपरीत की जाकर वास्तविक तथ्यों के विपरीत की गई है। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार फागी से तरमीम दुरूस्ती करने बाबत निवेदन किया गया तो तहसीलदार महोदय ने श्रीमान के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर चाराजाही करने की बात कही जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अविलंब श्रीमान के समक्ष आज पेश किया जा रहा है। विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

लगातार.......................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि0 एडी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 की और अधिवक्ता श्री हनुमान सहाय सिहाग उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने अपने जबाब के अतिरिक्त कथंन मे बताया की प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि के पूर्व दिशा में लगवा रेल्वे विभाग की भूमि ख0न0 667, 668 स्थित है, जिस पर वर्तमान में मौके पर पुख्ता डामरीकृत सडक बनी हुयी है, और मौके पर रास्ता चालू है, इसलिये प्रार्थीगण की नियत में फितुर है और वह अपना पुरा हिस्सा ही डामरीकृत रोड के लगवा लेना चाहता है, जबकि मौके कब्जेनुसार कहीं वर्षो से अप्रार्थी सं01 अपनी भूमि पर वर्तमान नक्शें अनुसार ही काबिज काश्त है एवं उसीनुसार राजस्व नक्श ट्रेस में डी0आर0आई0 एम०पी०एल० योजना अर्न्तगत तरमीम हुयी है, जो सही हुयी है। जिसको निरस्त करवाना चाहते है, अप्रार्थी सं01 के ख०न० 130/2 व 126/4 में अपने पुख्ता मकानात व कुंआ बना हुआ है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की गरज से पेश किया गया है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 व 3 की और से अधिववता श्री विशाल शर्मा उपस्थित आये तथा इकबालिया जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जानें पर कोई आपित्त प्रकट नही की।

अप्रार्थी सं0 4 की और पैरोकार सरकार उपस्थित आये एवं जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के तथ्यो मे बताया की बिन्दु सं0 1 के तथ्य सही है अर्थात ग्राम श्रीरामगंज की जमाबन्दी सम्वत 2076 – 2079 के खाता सं0 15 मे ख0न0 130/1 रकबा 0.7966 किस्म बारानी 3 मे खातेदार उषा देवी पत्नी लालचन्द हिस्सा 2/9 जाति बागडा ब्राहाम्ण सा0 40 माथुर वैश्य नगर टोंक रोड जयपुर, कमला देवी पत्नी दीपक कुमार हिस्सा 2/9 जाति ब्राहाम्ण सा0 1260 बरकत नगर टोंक फाटक जयपुर, घनश्याम सिंह पुत्र बालू सिंह हिस्सा 5/18 जाति दरोगा सा0देह, धनसिंह पुत्र बालू सिंह हिस्सा 5/18 जाति दरोगा सा0देह प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 2 लगायत 3 दर्ज रिकोर्डेड खातेदार है तथा जमाबन्दी सम्वत 2076 – 79 के खाता सं0 129 मे ख0न0 130/2 रकबा 2.4405 किस्म बारानी 3 मे खातेदार अप्रार्थीगण सं0 1 मोहरूराम पुत्र हरबक्ष हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0 अरण्याखेडा राहिन आर0एम0जी0बी0 शाखा नीमेडा के दर्ज रिकार्ड खातेदार है। बिन्दु सं0 7 में अंकित तथ्य सही है वर्तमान में मौकेक पर कुआं खुदा हुआ है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 2 व 3 की खातेदारी भूमि मे है तथा अपनी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक

लगातार..................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी.जिला–दूदू

14.07.2023 मे बताया की ख0न0 130/1 व 130/2 का डी0आई0आर0एल0एम0पी0 शीट के मुताबिक उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम मौका अनुसार सही नही हैं अर्थात डी0आई0आर0एल0एम0पी0 शीट की तरमीम व मौका अनुसार कब्जा स्थिति में भिन्नता है मौके पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा यह भी बताया गया कि ख0न0 130/1 के खातेदारान द्वारा एक कुआ भी खोदा हुआ है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होकर मौके पर सिचाई के काम मे लिया जा रहा है। मौके पर ख0न0 130/1 व 130/2 के सभी सहखातेदारान की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण किया गया तो जाहिर हुआ की ख0न0 130/1 व 130/2 मे मौके पर सीमेन्ट के पिलर व गडडे होकर तारबन्दी की हुई है। मौके पर ख0न0 130/1 के खातेदारों द्वारा नोटेरी से प्रमाणित एवं नजरी नक्शा एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार मिलान करने पर लगभग सही पाया गया। खातेदारान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में ख0न0 130/1 के दक्षिणी किनारे पर आंशिक भाग पर ख0न0 130/2 के खातेदार का कब्जा पाया गया। मौके पर मौजुद व्यक्तियों की उपस्थिति मे नजरी नक्शा तैयार किया गया एवं फर्द मौका रिपोर्ट मे बताया की ख0न0 130/1 व 130/2 की तरमीम मे राजस्व रिकार्ड अनुसार एवं मौका स्थिति अनुसार भिन्नता पाई गई। मौके पर मौजूदा खातेदारान को उक्त स्थिति से अवगत करवाया गया। मौके पर मौजूद ख0न0 130/1 के सभी खातेदार मौके के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाना चाहते है।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 2 व 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती का है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 – 2079 वाके ग्राम श्रीरामगंज के ख0न0 130/2 का अप्रार्थी सं0 1 रिकार्डेड खातेदार है तथा ख0न0 130/1 के प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 व 3 का हिस्सा दर्ज रिकार्ड होकर रिकार्डेड खातेदार है। तहसीलदार फागी द्वारा अपने जबाब मे प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं0 3 व 5 को सही होना जाहिर किया है जिसके

लगातार.............5

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

अनुसार राजस्व विभाग द्वारा रिकार्ड ऑनलाईन करते समय फोरी तौर पर की गई तरमीम मौका व कब्जे के विपरीत है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया गया है जिससे साबित हो की मौके पर वर्तमान तरमीम सही है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे न्यायालय उपतहसीलदार निमेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 15 के आराजी खसरा नम्बर 130/1 रकबा 0.7966 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर राज0 में स्थित आराजी का उपतहसीलदार निमेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 14.07.2023 अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/24.
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

सत्यमेव जयते